(नियम 26)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

..... रतिया राम s/o हरबंश ..... बनाम ..... राज० सरकार .....

किस्म मुकदमा ..... ब्रह्मण - महत्तरी ..... नं० ..... 32/2021 ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12.07.2021	

प्रत्यावेदी पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०, प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी सरकार मार्फ तहसीलदार बांदीकुई प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम महत्तरी तह० बांदीकुई जिला दौसा निर्गत भूमि खा० नं० 171 रकबा 0.19 है० ख० नं० 346/342 रकबा 0.18 है० किता 2 रकबा 0.35 है० प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि है जिस पर कब्जा चला आ रहा है लेकिन पड़ोसी काश्तकार बाड़ी की अज्ञान-गरीबी का फायदा उठाकर बाड़ी भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिससे आपसी झगड़ा लगे रहते हैं। जिससे बाड़ी भूमि विवाद होते रहते हैं इसलिये बाड़ी भूमि अपराजित की पत्थर गढ़ी करवाना चाहते हैं इसलिये सक्षम अधिकारी को पत्थर गढ़ी आदेश किये जावे।

बाड़ी बाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई, [illegible] प्राप्त होकर [illegible] प्रार्थी वकील को दिया, प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.08.12 13:15:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण- 32/2021 धारा 128 L.R. Act

सिविल जज सरकार दौसा

ब्राह्मण महलूनी

मय इंडीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम की हुक्म की तारीख में जारी हुए

किया, तहसीलदार बसवा रिपोर्ट का अवलोकन किया। उपरोक्त आदाती वादी सिमा राम पुत्र हरनाथ ब्राह्मण साकिन महलूनी के नाम राजस्व अभिलेख सन 2016-2019 की रजिस्टरी भूमि मौ. पहोनी तहसील बसवा मध्य बनी शोल आदी को लेकर विवाद पैदा करते हैं आदाती की पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अदालत है कि वादी पक्ष विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 128 राजस्व अ० एक्ट बाबत भूमि रकबा 1.71 एकड़ 0.19 है०, ख० नं० 246/244 रकबा 0.16 है० किता 2 रकबा 0.35 है० ग्राम महलूनी तहसील बसवा जिला दौसा स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बसवा उपरोक्त आदाती की विधिवत पत्थरगढ़ी कराये। पत्थरगढ़ी के समय मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम करने तहसीलदार बसवा को तकरीर जारी हो। प्रकरण फौतगी शुमार दफ्तर किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया।

(वीरेन्द्र कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
बसवा जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.08.12 13:15:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner